छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा   चतुर्दश सत्र   अंक-03

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017

(अग्रहायण 30, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 31 तारांकित एवं 59 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पृच्छा

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने विशेषाधिकार भंग की सूचना पर व्यवस्था दिए जाने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री अजय चंद्राकर ने उनके द्वारा दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर ध्यानाकर्षित किया। जिसके संबंध में मेरे द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि मैं इस पर पश्चात् व्यवस्था दूंगा, इस पर मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं एवं सदन को यथासमय सूचित किया जायेगा।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2017-18 के बजट की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(2) श्री अजय चन्द्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2016-2017 (दिनांक 01.07.2016 से 30.06.2017 तक),

(3) श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16,

(4) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 4-5/2008/11/6, दिनांक 4 फरवरी, 2017,

(5) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (क्रमांक 27 सन् 2006) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 20-10/2007/ग्यारह/छः, दिनांक 17 जुलाई, 2017 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल नियम, 2017,

(6) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29-1(8), दिनांक 30 अगस्त, 2017 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पारदर्शिता और जवाबदेही) नियम, 2017, तथा

(7) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 **पटल पर रखे।**

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा में हाईस्कूलों हेतु कम्प्यूटर खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को उन्होंने सदन में 14 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री दलेश्वर साहू
(2) डॉ. खिलावन साहू
(3) श्री मोतीलाल देवांगन
(4) श्री बघेल लखेश्वर
(5) श्री नवीन मारकण्डेय
(6) श्री अमित अजीत जोगी
(7) श्री शिवरतन शर्मा
(8) डॉ. विमल चोपड़ा
(9) श्री बृहस्पत सिंह
(10) श्री सियाराम कौशिक
(11) श्री संतराम नेताम
(12) श्री राजेन्द्र कुमार राय
(13) श्री दीपक बैज
(14) श्री रामदयाल उइके

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर -

(1) छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 22 सन् 2017) तथा

(2) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017)

की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापन, विचार एवं पारण की अनुमति प्रदान की ।

1. छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 22 सन् 2017)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 22 सन् 2017) पुर:स्थापित किया।

2. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017)

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017) पुर:स्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017) पर विचार एवं पारण हेतु चर्चा के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित किया।

7. कार्यसूची के पद क्रमांक 4 के उप पद क्रम में परिवर्तन

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज गुरूवार दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 की कार्य सूची के पद 4 के उप पद (6) पर दर्शित - छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 22 सन् 2017) को कार्य सूची के पद (4) के उप पद (2) के बाद सभा में लेने की अनुमति प्रदान की ।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

3. छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 22 सन् 2017)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 22 सन् 2017) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष एवं श्री श्रीचंद सुंदरानी, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।
डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 22 सन् 2017) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(माननीय अध्यक्ष ने कार्य सूची के पदक्रम 4 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

4. न्यायालय फीस (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 20 सन् 2017)

श्री महेश गागड़ा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि न्यायालय फीस (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 20 सन् 2017) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।
श्री महेश गागड़ा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री महेश गागड़ा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि न्यायालय फीस (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 20 सन् 2017) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

5. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2017)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2017) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, श्री नवीन मारकण्डेय, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री मोहन मरकाम, शिवरतन शर्मा, धनेन्द्र साहू।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 12 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2017) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

6. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री मोहन मरकाम, देवजी भाई पटेल, डॉ. विमल चोपड़ा, श्री भूपेश बघेल, श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017) पारित किया जाए ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ।

प्रस्ताव के पक्ष में 43 एवं विपक्ष में 31 मत प्राप्त हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।)

7. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017)

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

9. बहिर्गमन

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 2.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 (पौष-1, शक संवत् 1939) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा